



आवश्यक सूचना

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में विस्थापित श्रेणी मे वैद्य पंजीकृत 62 आवेदकों के मध्य विभिन्न श्रेणी के उपलब्ध भूखण्डों का आवंटन मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या-42733/2012 के अनुपालन मे किया जाना है।

वर्तमान 80 वर्ग मी० तक 23 भूखण्ड, 81 से 170 वर्गमी० तक 31 भूखण्ड व 171 वर्गमी० से बड़े 09 भूखण्ड (कुल 63 नग भूखण्ड) आवंटन हेतु उपलब्ध है।

वर्तमान में वैद्य पंजीकरण अधिकांश बड़े भूखण्डों के हैं। अतः उनसे अनुरोध है कि वह कुल उपलब्ध सम्पत्ति श्रेणी के विरुद्ध अपनी सहमति दिनांक **01.07.2014** तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-16ए, आफिस काम्पलेक्स वसुन्धरा गाजियाबाद में पंजीकरण चालान की फोटोप्रति व अपनी फोटो आई०डी० सहित वर्तमान दरों पर लेने हेतु अपनी लिखित सहमति निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त करा सकते है। समस्त पंजीकृत आवेदकों को परिषद द्वारा ब्रोशर प्रेषित किये जा रहे है। जिन आवेदको को समय से सूचना नहीं मिलती है वे कार्यालय से सहमति पत्र का प्रारूप प्राप्त कर यथा निर्धारित तिथि तक जमा करा सकते है। सम्पत्ति को आवंटन प्राप्त सहमति के आधार पर आवेदक द्वारा दी गयी पसन्द की वरीयता के आधार पर लाटरी ड्रा द्वारा दिनांक **05.07.2014** को सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा गाजियाबाद में प्रातः 11:00 बजे से किया जाना प्रस्तावित है।

आवास आयुक्त